न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः —82/2023 प्रार्थना पत्र

GCMS No.—2023/285

1. किशनलाल पिता स्व० उदा जी मेधवाल उम्र 68 साल पेशा काश्त निवासी रठांजना तहसील निम्बाहैडा

प्रार्थी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र मेधराज जाती जाट उम्र 45 साल पेशा काश्त निवासी रठांजना तहसील निम्बाहैडा
2. चम्पालाल पुत्र मेधराज जाती जाट उम्र 42 साल पेशा काश्त निवासी रठांजना तहसील निम्बाहैडा
3. रामसिंह पुत्र मेधराज जाती जाट उम्र 35 साल पेशा काश्त निवासी रठांजना तहसील निम्बाहैडा
4. कमलसिंह पुत्र मेधराज जाती जाट उम्र 27 साल पेशा काश्त निवासी रठांजना तहसील निम्बाहैडा
5. श्रीमती संगीता पुत्री मेधराज पत्नी कमल जाट उम्र 38 साल निवासी नयांगांव तहसील जावद जिला नीमच म०प्र०
6. श्रीमती विद्या पुत्री मेधराज पत्नी सत्यनारायण जाट उम्र 30 साल निवासी बडौली धाटा तहसील निम्बाहेडा

.......विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम— 1955

उपस्थित :— 1— श्री राजेश दायमा — अधिवक्ता प्रार्थी
2— श्री मदनलाल चपलोत — अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 6

:: निर्णय :: दिनांक :— 27.09.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि गांव रठांजना पटवार हल्का केली तहसील निम्बाहैडा मे आराजी नं0 1111 रकबा 1.6800 हैक्ट. लगानी 31.92 रुपये स्थित है। जिसमे से दिनांक 22/04/1996 को प्रार्थी/वादी ने 1/3 हीस्सा जसवन्तसिंह पिताकुन्दनसिंह शक्तावत राजपूत निवासी रठांजना तहसील निम्बाहेडा से जरीये रजिस्टर्ड विकय पत्र के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था । तब से उक्त आराजी मे प्रार्थी/वादी का 1/3 हक हीस्सा व विपक्षीगण/प्रतिवादीगण नं० 1 से 6 का प्रत्येक का 2/21 हक हीस्सा हक हीस्सा खाते मे दर्ज होकर प्रार्थी/वादी व विपक्षीगण / प्रतिवादी नं0 1 से 6 अपने हक हीस्से के अनुसार ही काबिज हो कर इसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:45:38 IST
Reason: SelfAttested

2. मौके पर सही नाप चोख होकर बंटवारा नहीं ... सीमा को लेकर सहखातेदारो मे आपस मे विवाद होता रहता है। दिनांक ... विपक्षीगण/प्रतिवादीगण नं० 1 से 6 प्रार्थी/वादी के खाते कब्जे की ... उत्तर मे जबरन कब्जा ... की नियत से खडडे खोद कर खम्बे लगाने का प्रयास कर रहे है। प्रार्थी/वादी ... मना करने पर विपक्षीगण/प्रतिवादीगण नं0 1 से 6 मरने मारने को उतारु हो जाते है तथा प्रार्थी / वादी को धमकी दे रहे है कि वे प्रार्थी / वादी की खाते कब्जे की आराजी पर जबरन कब्जा कर खम्बे लगा कर रहेगे । यदी विपक्षीगण/प्रतिवादीगण नं० 1 से

सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

6 अपने उद्देश्य मे सफल हो गये तो विपक्षीगण/प्रतिवादीगण नं० 1 से 6 प्रार्थी/ वादी की आराजी मे खड्डे खोद कर खम्बे लगा कर आराजी को अनुपयोगी बना देगे व जबरन कब्जा कर लेगे । यदी विपक्षीगण/प्रतिवादीगण अपने उद्देश्य मे सफल हो गये तो प्रार्थी वादी को अपूर्णिय क्षति होगी। इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि विपक्षीगण प्रतिवादीगण को तत्काल अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि वे प्रार्थी की खरीद शुदा खाते कब्जे की आराजि वर्णित कलम नं० 1 के प्रार्थी वादी के कब्जे की आराजी पर किसर प्रकार की खुदाई कर आराजी की उपयोगीता को नष्ट न करे न करावे व खम्बे आदी लगाकर कब्जा करने का प्रयास न करे करावे।

3. प्रार्थी/वादी ने आराजी वर्णित कलम नं० 1 के 1/3 हीस्से हीस्से को जरीये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीद की हुई होकर रेकार्डेड खातेदार होकर मौके पर वक्त खरीद से ही अपने हीस्से की आराजी पर काबिज चला आ रहा है। इसलिये प्राथ/वादी का वाद प्राईमाफैसी साबित होकर सुविधा का सन्तूलन भी प्रा/वादी के पक्ष मे है।अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि विपक्षीगण / प्रतिवादीगण नं० 1 से 6 को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द फरमाया जावे कि तादौराने वाद वे आराजी नं0 111 रकवा 1.6800 वाके गांव रठांजना के प्रार्थी/वादी के हक हीस्से की आराजी पर या उसके किसी हीस्से पर खड्डे खोद कर खम्बे लगा कर आ अन्य किसी तरह प्रार्थी/वादी के शान्तीपूर्ण उपयोग उपभोग में बाधा न पहुंचाये न उसके हिस्से व खाते कब्जे की आराजी को खोद कर अनुपयोगी बनाये। अन्य कोई सहायता जो प्रार्थी/वादी पा सकता हो दिलाई जावे । खर्चा प्रार्थी/वादी का विपक्षी / प्रतिवादीगण 16 से दिलाया जावे ।

4. प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी क्रमांक 1 से 6 की और से अधिवक्ता श्री मदनलाल चपलोत ने वकालतनामा प्रस्तुत कर उभयपक्ष को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्ष के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया।

5. उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु है । हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूवर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित हुए हैं। जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

Signature Not Verified

पत्रावली का अवलोकन किया गया उभयपक्ष ... अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, ... प्रार्थी के पक्ष में साबित हो रहे है अतः प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने ... हकदार है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित होने से स्वीकार किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा तब तक मूल वाद के निस्तारण तक उभयपक्ष को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके मौजा

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:15:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

ठांजना पटवार हल्का केली तहसील निम्बाहेडा के आराजी नम्बर 1111 रकबा 1.6800 हैक्टेयर भूमि की मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाए रखे। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:45:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner